

(राजस्थान पु-राजस्व अधिनियम, 1968 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के द्वारा जारी

राजस्व ग्राम <u>पटवारी</u> पं० सं० <u>519</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>गिरा</u> तहसील <u>क. 15. 15</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1	116	282	0.229 हे०	1) उपग्राम पुत्रा डाकरी हिस्सा धनी जागी-शुर्फ कार खाते में ही खाने के शुद्धि विचार में 11/11/82	1) उपग्राम पुत्रा डाकरी हिस्सा धनी जागी-शुर्फ कार खाते में ही खाने के शुद्धि विचार में 11/11/82	14/2/2025	
<p>मुलाबिक मिसल / जमाबन्दी संवत् <u>2009</u> के <u>20/70</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० पू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मन श्रवण योग्य है।</p> <p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p> <p>पं०हल्का <u>पटवारी</u> <u>गिरा</u> मू०अ०नि० <u>गिरा</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दावस्त संचिकाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p> <p>पं०हल्का <u>गिरा</u> मू०अ०नि० <u>गिरा</u> की राजस्व अधिकारी <u>गिरा</u> के रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। शाल जमाबन्दी में अपलत किया जावे।</p> <p><u>उपखण्ड मजिस्ट्रेट</u> उपखण्ड महोदय उपखण्ड अधिकारी</p>							

पटवारी (शु.अ.)
पटवार महोदय
सहसील पकमंडी (सिराही)

ह० मू०अ०नि०
पत्ता गिरा

09/04/22
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड महोदय उपखण्ड अधिकारी